कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/ओपन स्कूल/2007/214 दिनांकः– 29.03.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषयः–राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीकृत मूल्यांकन कार्य हेतु विषयाध्यापक उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक : प.12(01)मूल्यांकन/परीक्षा/2011/2735, दिनांक : 04.03.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उक्त संस्थान द्वारा आयोज्य अप्रेल–मई 2016 की परीक्षा माह अप्रेल से प्रारंभ होकर मई माह तक चलेगी। उक्त परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीकृत मूल्यांकन कार्य हेतु विषयाध्यापकों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति राज्य के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित विषय अध्यापकों का परीक्षक के रूप में पंजीकरण करके की जाती है। यह संस्थान 13/–रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका माध्यमिक कक्षा एवं 14/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु मानदेय प्रदान करता है। इसी प्रकार डेढ व दो घण्टे समयावधि वाले प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रति उत्तरपुस्तिका 8/– रूपये एवं 100/–रूपये प्रति कार्य दिवस कन्वेंस भत्ता भुगतान तथा न्यूनतम 50 उत्तरपुस्तिका प्रति कार्य दिवस मूल्यांकन किये जाने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु अन्य किसी प्रकार का यात्रा अथवा दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है तथा मूल्यांकन करने की अवधि के दौरान परीक्षकों को नियमानुसार कर्त्तव्य अवकाश देय है।

उपर्युक्त शर्तो के अध्यधीन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा परीक्षा कार्यक्रमानुसार उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त किए गए परीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर मूल्यांकन कार्य हेतु यथास्थान उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करने के निर्देश क्षेत्राधिकार के समस्त संस्था प्रधानों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

28.3.16
(गिरधारी लाल महर्षि)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी पर्यवेक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक महोदय), कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम/द्वितीय, जयपुर

क्रमांकः– जिशिअ/मा/जय/प्रथम/शै.प्र./11–12/ 2560-62 दिनांक :– 18/03/2016

समस्त संस्था प्रधान
रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि............................
जयपुर।

विषय :– आरएसओएस के मूल्यांकन कार्य में परीक्षकों को लगाने के क्रम में।
प्रसंग :– राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का पत्र क्रमांकः प.12(01) मूल्यांकन परीक्षा/2011–16/13167–68 दिनांक 18.03.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरएसओएस राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसमें शिक्षा से वंचितों को शिक्षित करने का प्रयास श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा/से अध्यक्ष आरएसओएस के मार्गदर्शनानुसार किया जाता है। उक्त संदर्भ में लेख है कि दिनांक 13.04.2016 से आरएसओएस की परीक्षा प्रारम्भ हो रही है जो दिनांक 09.05.2016 तक चलेगी। उक्त परीक्षा के मूल्यांकन कार्य हेतु विषय अध्यापकों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा मांगे जाने पर आरएसओएस में संबंधित विषय के मूल्यांकन कार्य समाप्त होकर आरएसओएस के द्वारा कार्यमुक्त करने तक के लिए कार्यमुक्त करें।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर–प्रथम, जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर–द्वितीय, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. ~~आयुक्त~~ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक जयपुर संभाग, जयपुर।
4. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर–प्रथम/द्वितीय, जयपुर